भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3160

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने हेत्

पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश की कमी

- 3160. प्रो. अच्युतानंद सामंतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च लागत और नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को बकाए का भुगतान न करने के कारण पवन ऊर्जा परियोजनाओं में कम निवेश हो रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल निवेशकों और विकासकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान 2 गीगावॉट से कम पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का विचार 2022 तक 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग): वर्ष 2019-20 (29.02.2020 तक) के दौरान देश में 2043 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई, जबिक विगत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1480 मेगावाट थी।

सरकार को अक्षय ऊर्जा विकासकों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और निम्नलिखित कदम उठा गए हैं:-

- i) राज्य सरकारों से अक्षय ऊर्जा विकासकों को बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।
- ii) सरकार ने अक्षय ऊर्जा विकासकों की बकाया राशि के भुगतान के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लि. के माध्यम से विभिन्न राज्य डिस्कॉम को ऋण स्विधा प्रदान की है।

iii) सरकार ने अक्षय ऊर्जा विकासकों को समय पर भुगतान सुनिश्वित करने के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत खरीद करारों के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में उपयुक्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोलने और बनाए रखने के बारे में पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने निवेशकों और विकासकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. और एनटीपीसी लि. को निर्देश दिए हैं कि पवन और सौर वियुत परियोजनाओं के लिए भविष्य की बोलियों में ऊपरी सीमा निर्धारित न करें।

- (घ) वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (29.02.2020 तक) के दौरान देश में पवन ऊर्जा की संस्थापित क्षमता क्रमशः 1865 मेगावाट, 1480 मेगावाट और 2043 मेगावाट है।
- (ङ) सरकार ने दिसम्बर, 2022 तक 60,000 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 37,669 मेगावाट क्षमता पहले से ही (29.02.2020 तक) चालू की जा चुकी है और 9236 मेगावाट की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और 1200 मेगावाट कि लिए बोली प्रक्रिया चल रही है।
